न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2052/2004/अलवर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोटकासिम, जिला अलवर।

....अपीलार्थी

बनाम

1– सुल्तान पुत्र भयराम (मृतक) जरिये विधिक वारिसानः–

1/1 मु0 फूलवती पत्नि सुल्तान

1/2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र सुल्तान

1/3 नरेश कुमार पुत्र सुल्तान

1/4 राजपाल पुत्र सुल्तान

1/5 बबीता पुत्री सुल्तान

2– सुखराम पुत्र भयराम

3– रतीराम पुत्र भयराम

4– बहादुर पुत्र भयराम

समस्त जाति यादव, निवासीगण ग्राम नरबास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
डॉ0 आर0वेकटेश्वरन, अध्यक्ष
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य

उपस्थितः–
श्रीमति पूनम माथुर, अति0 राजकीय अधिवक्ता।
श्री माधवराज, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

––

निर्णय

दिनांकः 26–08–20

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील सं0 177/2003 में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 04–02–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधिनियम की धारा 88,89 व 188 का उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के न्यायालय में पेश किया एवं निवेदन किया कि वे विवादित आराजी पर उनके पूर्वजों के समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा उस पर उनका कब्जा है, ऐसी स्थिति में उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त हो चुके है किन्तु राजस्व अधिकारियों ने विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया है, अतः उसे दुरस्त कर उन्हें विवादित भूमि पर खातेदार अंकित किया जावें। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को नोटिस जारी किए, जिन्होंने जवाबदावा पेश किया। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01–09–2003 द्वारा अस्वीकार कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04–02–2004 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया व वादीगण को बतौर खातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान किए। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सर्वप्रथम भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रा0 पत्र पर सुनी व बहस पर मनन किया।

4– प्रार्थनापत्र व शपथपत्र में अंकित तथ्यों को संतोषप्रद पाते हुए हम भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के

प्रार्थनापत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है, अतः भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रा0 पत्र को स्वीकार कर द्वितीय अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

5– तत्पश्चात् हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस द्वितीय अपील के गुणावगुण पर सुनी।

6– योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि प्रत्यर्थी/वादीगण एक अतिक्रमी के रूप में विवादित भूमि पर काबिज है एवं उनके द्वारा अपने वाद को किसी भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से सिद्ध भी नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज किया किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए अनुचित रूप से वादीगण को खातेदारी प्रदान की। उनका तर्क था कि विवादित भूमि पूर्व में एवं बाद में सिवायचक दर्ज रही है। भू प्रबंध के दौरान कभी भी वादी ने उज्र नहीं किया, क्योंकि उसका विवादित आराजी पर कभी भी कोई मालिकाना हक व अधिकार नहीं रहा। विवादित आराजी गंगासहाय की कभी भी खुदकाश्त नहीं रही। उनका यह भी तर्क रहा कि विचारण न्यायालय ने वाद में चार तनकियात कायम की तथा चारों तनकियात वादी अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहा। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने उसका वाद खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की। उनका यह भी तर्क था कि अपीलार्थी को दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नहीं दिया गया। राज्य सरकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2023 में साबिक खसरा नं0 109 मिन जमाबंदी संवत् 2023 रकबा 3.18 बीघा, 109 मिन 44 बीघा एवं 109 मिन 36 बीघा 2 बिस्वा चरागाह (गौचर भूमि) दर्ज अभिलेख है, जो इसी आराजी से उक्त हाल खसरा नं0 816 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कायम हुआ, जिसे सिवायचक लगानी दर्ज किया है। उनका यह भी तर्क था कि राज्य सरकार के विरूद्ध एडवर्स पजशन 30 वर्ष से अधिक का कब्जा होता है तो खातेदारी का वाद लाया जा सकता है तथा कब्जा भी लगातार सिद्ध होना आवश्यक है। उक्त तथ्य को

अनदेखा कर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपना निर्णय प्रदान किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय नियम व रेकार्ड के विपरीत है तथा समस्त कार्यवाही एकपक्षीय, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किए जावें तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री बहाल की जावें।

7– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि वादीगण के पूर्वज अधिनियम लागू होने एवं जमींदारी व बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने से पूर्व व लागू होने के दिन विवादित भूमि पर काबिज काश्त थे तथा उनके पश्चात् वादीगण शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण/वादीगण को बॉय ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए परन्तु भू बंदोबस्त विभाग ने विवादित आराजी को गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है। उनका तर्क था कि जमाबंदी संवत 2011 में साबिक खसरा नं0 109 रकबा 153 बीघा 18 बिस्वा किस्म पड़त कदीम पर भूमिधारक के कॉलम में शामलात पट्टी गंगासहाय हस्ब हिस्सा बिस्वांत एवं कृषक के कॉलम में खुदकाश्त मालकान दर्ज किया गया है एवं इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2015 में भी उपरोक्तानुसार ही प्रविष्टियां अंकित है। इसके पश्चात् जमाबंदी संवत् 2019 में भी साबिक खसरा नं0 109 मिन रकबा 69 बीघा 15 बिस्वा में भयराम पुत्र पेमराज की 1/12 भाग पर खातेदारी दर्ज की गई है। भयराम पुत्र पेमराज खुदकाश्त गंगासहाय का ही वारिसान था। इस कारण उसका नाम संवत् 2019 में भी दर्ज किया हुआ है किन्तु जमाबंदी संवत् 2029, जो कि भू प्रबंध विभाग द्वारा तैयार की गई है, जिसमें हाल खसरा नं0 816 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा सिवायचक दर्ज करने में भारी भूल की है। उनका यह भी तर्क था कि खसरा परिवर्तनशील संवत् 2030 में भी विवादित आराजी खसरा नं0 816 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के अतिक्रमी भयराम पुत्र पेमराज दर्ज है। इसी प्रकार खसरा परिवर्तनशील संवत् 2038–22040 में भयराम को अतिक्रमी के रूप में दर्शाया गया है। खसरा परिवर्तनशील संवत् 2052 के अनुसार विवादित भूमि पर सुल्तान बहादुर पुत्रान भयराम को अतिक्रमी के रूप में दर्ज किया हुआ है। खसरा परिवर्तनशील संवत् 2053 में

विवादित भूमि 3 बीघा 5 बिस्वा पर सुल्तान, बहादुर व सुखराम वगैरह को अतिक्रमी दर्शाया गया है। खसरा परिवर्तनशील संवत् 2057–58 में भी विवादित आराजी पर बहादुर पुत्र भयराम को अतिक्रमी के रूप में दर्ज किया हुआ है। उक्त समस्त से साबित होता है कि विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा लगातार चला आ रहा है किन्तु भू प्रबंध विभाग ने बिना किसी आदेश के वादीगण का नाम विलोपित कर दिया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। इसी कारण उन्होंने दावा पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय ने अनुचित रूप से खारिज कर दिया किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति का आंकलन करते हुए उन्हें खातेदार घोषित किया, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम व अभिलेख की दृष्टि से उचित है, अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें।

8– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

9– प्रश्नगत द्वितीय अपील में हमारे समक्ष निर्णय का मुख्य बिन्दू यह है कि क्या प्रत्यर्थीगण विवादित भूमि के संबंध में खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है? दावे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद अधिनियम की धारा 88,89 व 188 के अन्तर्गत इस आधार पर पेश किया गया कि उसके पूर्वज विवादित आराजी पर लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है और इस आधार पर वह विवादित भूमि पर खातेदारी घोषित करवाने हेतु सक्षम है। विचारण न्यायालय ने तनकी सं0 1 को निर्णित करते हुए अभिलेख के आधार पर यह निष्कर्ष अंकित किया है कि वादीगण का नाम विवादित भूमि के संबंध में केवल संवत् 2053 में अतिक्रमी के रूप में दर्ज हुआ है इसके अतिरिक्त ऐसा कोई अभिलेख पेश नहीं हुआ है, जिसमें वादीगण की हैसियत ऐसे किसी रूप में दर्ज हो जो कि खातेदारी प्राप्त करने हेतु समर्थ हो। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में अंकित किया है कि संवत् 2011 की जमाबंदी में विवादित भूमि के कृषक के कॉलम में खुदकाश्त मालकान दर्ज हुआ है तत्पश्चात् यह भूमि जमाबंदी संवत् 2029 में सिवायचक लगानी दर्ज की गई है। कालान्तर में संवत् 2038–40,2053 की खसरा

परिवर्तनशील में वादी को अतिक्रमी अंकित किया गया है। हमारी सुविचारित राय में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी को खातेदारी प्रदान करने हेतु संवत् 2011 की जमाबंदी का जो आधार लिया गया है उससे यह सिद्ध नही होता कि वादीगण भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व भूमि के खातेदार दर्ज थे। ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती परिर्वतनशील में अतिक्रमी की हैसियत से दर्ज किए जाने के कारण वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि वादीगण एवं उनके पूर्वजों का भूमि पर कब्जा मान भी लिया जाए तो वह अतिक्रमी होने के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते। क्योंकि राजस्व मामलों में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान किए जाने की कोई अवधारणा वर्तमान विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में नहीं है।

10– उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख के संबंध में सही निष्कर्ष अंकित करते हुए वादी का वाद खारिज किया था, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख की गलत व्याख्या करते हुए वाद स्वीकार किया है जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

11– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है व भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–02–2004 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01–09–2003 बहाल किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार पारख) (डॉ0 आर0वेकटेश्वरन)

सदस्य अध्यक्ष